खबरों में रहे स्टॉक

सेंचुरी टेक्सटाइल्स ऐंड इंडस्ट्रीज

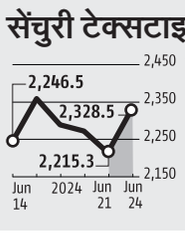

पुणे में 2,500 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षमता वाली 16.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

₹ 2,215.3 पिछला बंद भाव
₹ 2,328.5 आज का बंद भाव
5.1 % ▲

रूट मोबाइल

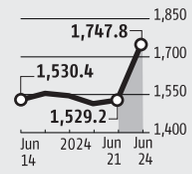

नागपुर, पुणे, हैदराबाद और दिल्ली मेट्रो के लिए व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सेवा

₹ 1,529.2 पिछला बंद भाव
₹ 1,747.8 आज का बंद भाव
14.3 % ▲

हीरो मोटोकॉर्प

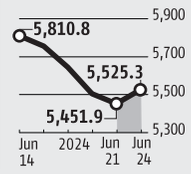

1 जुलाई से चुनिंदा बाइक और स्कूटरों की कीमतों में करेगी बढ़ोतरी

₹ 5,451.9 पिछला बंद भाव
₹ 5,525.3 आज का बंद भाव
1.3 % ▲

वेलस्पन स्पेशियलिटी सॉल्यूशंस

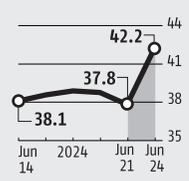

बीएचईएल से सीमलेस स्टेनलेस स्टील बॉयलर ट्यूब की आपूर्ति का ऑर्डर मिला

₹ 37.8 पिछला बंद भाव
₹ 42.2 आज का बंद भाव
11.6 % ▲

संघवी मूवर्स

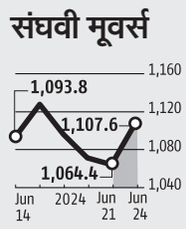

अक्षय ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में करीब 180 करोड़ रुपये के दो ऑर्डर मिले

₹ 1,064.4 पिछला बंद भाव
₹ 1,107.6 आज का बंद भाव
4.1 % ▲

संक्षेप में

हीरो मोटोकॉर्प बढ़एगी कुछ मॉडलों के दाम

हीरो मोटोकॉर्प अपने चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकल मॉडल की कीमतों में 1 जुलाई, 2024 से 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि उत्पादन की ऊंची लागत की वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी ने कहा कि कीमत में संशोधन 1,500 रुपये तक होगा और यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और बाजार के हिसाब से भिन्न होगी। *भाषा*

एलऐंडटी को बिहार में सौर संयंत्र का ठेका मिला

बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) को बिहार में ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने का महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। एलऐंडटी के वर्गीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण अनुबंध का मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से 2,500 करोड़ रुपये के बीच होता है। कंपनी ने बीएसई को दी जानकारी में कहा कि यह ठेका एलऐंडटी के बिजली पारेषण और वितरण खंड को मिला है। बिहार के लखीसराय के कजरा गांव में सौर परियोजना जलवायु परिवर्तन से निपटने और मांग में वृद्धि को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। *भाषा*

टाटा मोटर्स की 79वीं वार्षिक आम बैठक

विभाजन से कारोबारों का तालमेल होगा सुगम: चंद्रा

सोहिनी दास
मुंबई, 24 जून

टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आज 79वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों को बताया कि यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहनों के कारोबार के प्रस्तावित विभाजन से इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वचालित वाहनों और वाहन सॉफ्टवेयर की बीच तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। टाटा मोटर्स ने कहा कि कंपनी अलग-अलग रणनीतियों के जरिये 'वित्तीय मजबूती' और ग्राहक अनुभव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी।

चंद्रशेखरन ने आभासी एजीएम में शेयरधारकों को बताया कि इस कारोबार विभाजन से उनकी अलग-अलग रणनीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी तथा प्रत्येक कारोबार को ज्यादा चुस्ती और जवाबदेही के साथ उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। निदेशक मंडल ने कंपनी को दो अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें वाणिज्यिक वाहन कारोबार और उससे संबंधित निवेश को एक कंपनी में तथा यात्री वाहन कारोबार को दूसरी कंपनी में रखना शामिल है। इसमें पीवी, ईवी, जेएलआर और उससे संबंधित निवेश शामिल है।

चंद्रशेखरन का कहना है कि कारोबार विभाजन से उनकी अलग-अलग रणनीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी

चंद्रशेखरन ने कहा कि इससे प्रत्येक कंपनी ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव, कर्मचारियों के लिए बेहतर विकास की संभावनाएं और शेयरधारकों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करेगी। कंपनी ने कहा कि टाटा मोटर्स अपनी 'वित्तीय मजबूती' को बेहतर बनाने और ग्राहक अनुभव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी तथा बाजार में आगे की वृद्धि के लिए और ज्यादा विशिष्ट रणनीति अपनाएगी। कंपनी ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि हम भारत में विकास और स्थिरता देख रहे हैं, लेकिन वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य निरंतर सैन्य संघर्षों की वजह से अशांत बना हुआ है। चंद्रशेखरन ने कहा 'कई देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा समन्वित कार्रवाई ने मुद्रास्फीति कम करने में मदद की है, हालांकि पूर्ण मूल्य स्तर अधिक बने हुए हैं। अगले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक विकास लगभग तीन प्रतिशत होने के अनुमान से आर्थिक परिदृश्य स्थिर होने की उम्मीद है।'

समेकित आधार पर कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत बढ़कर 13.8 लाख से ज्यादा हो गई है। राजस्व 4.37 लाख करोड़ रुपये और एबिटा 62,800 करोड़ रुपये रहा।

अदाणी एंटरप्राइजेज की 32वीं वार्षिक आम बैठक

बुनियादी ढांचे में मौकों का फायदा उठाएंगे हम : अदाणी

अमृता पिल्लै
मुंबई, 24 जून

अदाणी एंटरप्राइजेज की सालाना आम बैठक (एजीएम) में चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि समूह भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए वित्त पोषण का बड़ा हिस्सा राज्य स्तर पर है।

सोमवार को कंपनी की 32वीं एजीएम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शेयरधारकों को संबोधित करते हुए अदाणी ने कहा, 'मूल रूप से हम एक बुनियादी ढांचा कंपनी हैं, हम आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।'

कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बाद में शेयरधारकों को बताया कि इस साल से अदाणी की सभी सूचीबद्ध कंपनियों की एजीएम जून के समान सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य चेयरमैन के जन्मदिन के साथ समूह के लिए एजीएम सीजन की शुरुआत करना है।

अदाणी 24 जून को 62 साल के हो गए हैं।

अदाणी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारत का खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचा खर्च में राज्यों के योगदान पर जोर देते हुए कहा, 'इससे भी अधिक जरूरी बात यह है कि, जब बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए मंच तैयार होता है, तो वित्त पोषण और क्रियान्वयन का बड़ा हिस्सा राज्य स्तर पर होता है।' उन्होंने कहा कि समूह का परिचालन 24 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है और और हम पहलों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रत्यक्षदर्शी हैं। अदाणी ने हिंडनबर्ग घटनाक्रम को भी याद किया। उन्होंने कहा, 'हमें एक विदेशी शॉर्ट सेलर के निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा था। इस शॉर्ट सेलर ने हमारे दशकों के कठिन परिश्रम पर सवाल खड़े कर दिए थे।'

अदाणी ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर भारत का खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है

बुनियादी ढांचा अवसरों की राह में मौजूदा भूराजनीतिक चिंताओं के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में समूह के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगशिंदर सिंह ने कहा, 'हम नहीं मानते कि अल्पावधि समस्याओं से व्यापार मार्गों के विकास के दीर्घावधि दृष्टिकोण पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा।'

सिंह ने प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा, 'हम साइट पर लगभग 100 केवी के इलेक्ट्रोलाइजर की टेस्टिंग करने की प्रक्रिया में हैं। हम अगले कुछ वर्षों के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकास एवं नियोजन कार्य पूरा कर लेंगे।'

प्रोसस ने बट्टे में डाला बैजूस में अपना निवेश

पृष्ठ 1 का शेष

कंपनी की वित्तीय स्थिति और कारोबार संचालन के मसले पर प्रोसस के रसेल ड्रिसेन स्टॉक के साथ ही पीक-15 के जीवी शंकर और चेन जुकरबर्ग इनीशिएटिव के विवियन वू ने भी बैजूस से इस्तीफा दे दिया था। वित्तीय नतीजों में देर के कारण बैजूस की ऑडिटर डेलॉयट हस्किन्स ऐंड सेल्स ने भी कंपनी का कामकाज छोड़ दिया था।

बैजूस कर्मचारियों को वेतन भी देर से दे पा रही है। बैजूस और उसके निवेशक कंपनी के 20 करोड़ डॉलर के राइट निर्गम पर राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कंपनी के चार निवेशकों प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक-15 पार्टनर्स ने राइट निर्गम पर रोक लगाने की मांग की है क्योंकि इसे कंपनी के सर्वाधिक 22 अरब डॉलर मूल्यांकन से 99 फीसदी कम उद्यम मूल्य पर लाया जा रहा है।K बैजूस ने दूसरे राइट निर्गम पर एनसीएलटी की रोक के आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

स्विगी से आय 24 फीसदी बढ़ी

प्रोसस ने भारत में स्विगी, पेयू और फार्मईजी जैसी कंपनियों में 700 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। प्रोसस ने कहा है कि जनवरी-दिसंबर 2023 के बीच स्विगी की आय 24 फीसदी बढ़ी है। प्रोसस स्विगी की सबसे बड़ी निवेशक है और कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 32.6 फीसदी है।

स्विगी 120 करोड़ डॉलर का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारी कर रही है। निर्गम में कंपनी करीब 3,750 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करना और मौजूदा शेयरधारकों के 6,664 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर पेश करना चाहती है।

पेयू में भी 22 फीसदी बढ़ी आय

प्रोसस ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में पेयू की कुल आय 22 फीसदी बढ़कर 110 करोड़ डॉलर रही।

सन फार्मा ने पूरा किया टारो फार्मास्युटिकल का अधिग्रहण

सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज ने सोमवार को टारो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज का अपनी सहायक के साथ कामयाबी के साथ विलय पूरा होने की घोषणा की। विलय के तहत सन फार्मा ने टारो के उन शेयरों का अधिग्रहण किया, जो पहले से सन फार्मा या उसकी सहायकों के पास पहले से नहीं थे। सौदे की कुल कीमत 34.77 करोड़ डॉलर है। 24 जून को इजरायल में कंपनी पंजीयक ने विलय का प्रमाणपत्र जारी किया। विलय के परिणामस्वरूप टारो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध हो जाएगी और निजी स्वामित्व वाली कंपनी बन जाएगी, जिसका 100 फीसदी स्वामित्व सन फार्मा के पास होगा। सन फार्मा के पास पहले इसकी 78.5 फीसदी हिस्सेदारी थी। सन फार्मा के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक दिलीप सांघवी ने कहा, टारो के विलय की प्रक्रिया कामयाबी के साथ पूरी करने पर हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह कदम दोनों संगठनों के लिए अहम है, जहां हम एक दूसरे की ताकत व क्षमता का प्रभावी इस्तेमाल कर पाएंगे। *बीएस*

HDB FINANCIAL SERVICES

एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः पहली मंजिल, 102 एवं 103, स्टर्लिंग आर्केड, प्लॉट नं. 15/3, रेस कोर्स रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश, पिनकोड-452001
शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, 102 एवं 103, स्टर्लिंग आर्केड, प्लॉट नं. 15/3, रेस कोर्स रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश, पिनकोड-452001

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग

आप, नीचे उल्लेखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी पर रखकर एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड की शाखा से ऋण की सुविधाएं हासिल की है। आपने अपने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया तथा उसे चुकता करने में विफल हो चुके हैं। आपके विफल होने के परिणामस्वरूप आपके ऋणों को अनर्जक सम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। चूंकि आपने कथित ऋणों की सुविधा हासिल करने के साथ उसे चुकता करने के लिए प्रतिभूतियों के संबंध में अंतर्निहित प्रतिभूति हित सृजित किया है। एचडीबीएफएस के पास बकाया रकम की वसूली करने का अधिकार है। अब प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (अधिनियम) के अधीन मांग सूचना जारी की है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इसके विषय वस्तु को यहां आपके लिए वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गारंटीदाताओं, ऋणों, **प्रतिभूतियों**, बकाया रकम, धारा 13(2) के अधीन भेजी गई मांग सूचना तथा उसके अधीन दावा की गई रकम का नीचे उल्लेख किया गया है:

(1) कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नामः 1. (क) ट्राइएस्टिक निवासी 128 मुंगी नरसिंह होमर लेन राजकुमार होटल के सामने फ्रीगंज उज्जैन, उज्जैन-456010 मध्य प्रदेश तथा और एक पता शिवांश एवेन्यू पार्ट 1 ग्राम शक्करवासा देवास रोड तहसील एवं एसआईडीटीटी उज्जैन, उज्जैन-456010 में स्थित प्लॉट नं. 79 **(ख) दिलीप शर्मा निवासीः- 79 शिवांश एवेन्यू**-1 शक्करवासा देवास रोड उज्जैन उज्जैन-456010 मध्य प्रदेश **(ग) शुभम शर्मा निवासीः- 79 शिवांश एवेन्यू**-1 शक्करवासा देवास रोड उज्जैन उज्जैन-456010 मध्य प्रदेश **(घ) रेखा शर्मा निवासीः**- 79 शिवांश एवेन्यू-1 शक्करवासा देवास रोड उज्जैन उज्जैन-456010 मध्य प्रदेश **(2) ऋण खाता नम्बर**-32324925 **(3) ऋण रकम रु. मेः** रु. 4640000/- (रुपये छियालीस लाख चालीस हजार मात्र)। **(4) गिरवी पर रखी गई प्रत्याभूत सम्पत्ति का विस्तृत विवरणः** "शिवांश वेन्यू" (पार्ट-I) ग्राम शक्करवासा देवास रोड तहसील एवं जिला उज्जैन में स्थित मकान नं. 79, कुल क्षेत्रफल 120.70 वर्ग मीटर का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, बिक्री विलेख के अनुसार उल्लिखित चौहद्दीः उत्तर में-प्लॉट नं. 78, दक्षिण में-प्लॉट नं. 80, पूर्व में-प्लॉट नं. 90, पश्चिम में-कॉलोनी की सड़क, (5) मांग सूचना की तारीख-15.06.2024, **(6) बकाया रकम रु. में** - दिनांक 12.06.2024 को रु. 47,37,309.46/- (रुपये सैंतालीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ नौ एवं पैसे छियालीस मात्र) साथ में वास्तविक वसूली तक अनुबंधकीय दर पर उस पर भविष्य के ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत तथा शुल्क की रकम इत्यादि।

(2) कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नामः 1. (क) पूजा फैशन, निवासी 66, शॉप नं. जी 2 भीलवाड़े कॉमप्लेक्स 34 बक्शी गली राजवाड़ा इंदौर शॉप नं. जी-2 भीलवाड़े कॉप्लेक्स 34 बक्सी जीए इंदौर-452001 मध्य प्रदेश और एक पता फ्लैट नं. 203, दूसरी मंजिल, ओम अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 23-ए वीर सावरकर नगर, इंदौर, इंदौर-452014 में स्थित। **(ख) दीनेश हेमनानी निवासीः** 3-ए वीर सावरकर नगर फ्लैट नं. 203 इंदौर खाटीवाला टैंक इंदौर-452014 मध्य प्रदेश (ग) पूजा हेमनानी निवासीः-23-ए वीर सावरकर नगर फ्लैट नं. 203 इंदौर खाटीवाला टैंक इंदौर-452014 मध्य प्रदेश। **(2) ऋण खाता नम्बर-28869768 (3) ऋण रकम रु. मेः** रु. 2447578/- (रुपये चौबीस लाख सैंतालीस हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र)। **(4) गिरवी पर रखी गई प्रत्याभूत सम्पत्ति का विस्तृत विवरणः** प्लॉट नं. 23-ए, वीर सावरकर नगर, इंदौर में स्थित "ओम अपार्टमेंट" की दूसरी मंजिल पर फ्लैट नं. 203, सुपर बिल्ट अप एरिया 716 वर्ग फीट का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, बिक्री विलेख के अनुसार उल्लिखित चौहद्दीः उत्तर में-फ्लैट नं. 201 एवं 202, दक्षिण में-प्लॉट नं. 15, पूर्व में-प्लॉट नं. 22, पश्चिम में-प्लॉट का शेष हिस्सा तथा प्लॉट नं. 23-बी, **(5)** मांग सूचना की तारीख-15.06.2024, **(6) बकाया रकम रु. में** - दिनांक 12.06.2024 को रु. 2496284.87/- (रुपये चौबीस लाख छियानवे हजार दौ सौ चौरासी एवं पैसे सत्तासी मात्र) साथ में वास्तविक वसूली तक अनुबंधकीय दर पर उस पर भविष्य के ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत तथा शुल्क की रकम इत्यादि।

(3) कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नामः 1. (क) दरबार बस सर्विस, निवासी 183 बरखेड़ाकोटापाई डाकघर राजोदा देवास देवास-455001 मध्य प्रदेश तथा और एक पता ग्राम बरखेड़ा कोटापाई तहसील एवं जिला देवास-455001 के सरल नं. 824 में स्थित प्लॉट नं. 163 एवं उस पर निर्मित मकान। **(ख) रचना पनवार निवासीः**- 183 बरखेड़ा कोटापाई डाकघर डाकघर राजोदा देवास देवास-455001 मध्य प्रदेश **(ग) जीतेन्द्र पनवार निवासीः**- 183 बरखेड़ा कोटापाई डाकघर डाकघर राजोदा देवास देवास-455001 मध्य प्रदेश। **(2) ऋण खाता नम्बर-21863417 (3) ऋण रकम रु. मेः** रु. 2750000/- (रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)। **(4) गिरवी पर रखी गई प्रत्याभूत सम्पत्ति का विस्तृत विवरणः** ग्राम बरखेड़ा कोटापाई तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.) पटवारी हलका नं. 67 में वार्ड नं. 09 (सरल नं. 824) में स्थित 4825.00 वर्ग फीट (448.42 वर्ग मीटर) परिमाप के प्लॉट नं. 163 तथा उस पर निर्मित मकान का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, बिक्री विलेख के अनुसार उल्लिखित चौहद्दीः उत्तर में-देवास-बरोठा रोट, दक्षिण में-आम रास्ता, पूर्व में-यात्री प्रतीक्षालय तथा श्री गजराज सिंह का मकान, पश्चिम में-श्री बाबूलाल राठौर का मकान, **(5)** मांग सूचना की तारीख-15.06.2024, **(6) बकाया रकम रु. में - दिनांक 12.06.2024** को रु. 2793745.66/- (रुपये सत्ताईस लाख तिरानवे हजार सात सौ पैंतालीस एवं पैसे छियासठ मात्र) साथ में वास्तविक वसूली तक अनुबंधकीय दर पर उस पर भविष्य के ब्याज के साथ आकस्मिक व्यय, लागत तथा शुल्क की रकम इत्यादि।

1. कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं को इस सूचना के 60 दिनों के अंदर ऊपर उल्लेखित मांग की गई रकम के साथ यहां ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार आगे के ब्याज की रकम चुकता करने को कहा जाता है अन्यथा एचडीबीएफएस के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी ऊपर उल्लेखित प्रतिभूतियों को कुर्क करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।
2. कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार एचडीबीएफएस की सहमति के बगैर गिरवीदाताओं पर बिक्री, पट्टा, लीव एवं लाइसेंस अथवा अन्य किसी भी रूप में ऊपर संदर्भित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।
3. किसी भी तरह की पूछताछ अथवा अंतिम रूप से समझौता के लिए कृपया 1. श्री सुरेन्द्र शर्मा सम्पर्क नं. 9171491111 (कलेक्शन मैनेजर) श्री श्याम तेलंगः सम्पर्क नं.: 9970061659 (जोनल कलेक्शन मैनेजर), 2. श्री रवीन्द्र वसंतराव देसाले (एरिया लीगल मैनेजर) मोबाइल नं.: 7350942500, 3. श्री गौरव नाइक (लीगल एसोसिएट), मोबाइल नं.: 7587748188, एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड से सम्पर्क करें।

स्थानः म.प्र. हस्ता/-अधिकृत अधिकारी,
तारीखः 25.06.2024 एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड

Bandhan Bank

रीजनल ऑफिसः नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी । ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है । अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा । सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

ऋणियों के नाम और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्री प्राण सिंह रघुवंशी श्री अमन सिंह रघुवंशी श्री खिलान सिंह रघुवंशी श्री कमल सिंह रघुवंशी श्रीमती सुशीला बाई रघुवंशी श्रीमती सावित्री बाई रघुवंशी 20008050000586	सभी अचल संपत्ति जो लगभग 1200 वर्गफीट प्लॉट नंबर 15, खसरा नंबर 601, वन कार्यालय के सामने, नगर पंचायत लटेरी, तहसील-लटेरी, जिला-विदिशा, म.प्र.-464114 पर स्थित है और जो आवरित हैः उत्तरः सड़क, पूर्वः अजीत कुमार पांडे का प्लॉट, पश्चिमः मार्ग, दक्षिणः सरकारी गली	14.03.2024	19.06.2024	रू.4,29,375.04 (जो दिनांक 12.02.2024)

स्थानः विदिशा
तारीखः 25/06/2024

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः– 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोनः–011–23357171, 23357172, 23705414, web:- www.pnbhousing.com
इंदौर शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 201–ए और 202, द्वितीय तल, मेगापोलिस बिल्डिंग, 579, एमजी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश–452001.

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या–ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित के पास गिरवी/चार्ज की गई है। लेनदार, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है (जैसा कि कॉलम संख्या–सी में वर्णित है), "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" के आधार पर बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार "है और जो कुछ भी है उसका आधार है"। इसके द्वारा संबंधित के उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(यों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(ओं) को नोटिस दिया जाता है। उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं) (मृत्यु के बाद से) को आज की तारीख में संशोधित सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम –8(6) और 9 के तहत कॉलम संख्या–ए में दर्शाया जा सकता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर (स) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करनेकी अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
NHL/IND/0915/243946, बी.ओ इंदौर, प्रशांत जैन /डोली जैन /राकाशी जैन	रु. 9,79,833.38 तक 04.06.2018	भौतिक कब्ज़ा	फ्लैट नं.402, चौथा तल, आनंद वृंदावन धाम, प्लॉट नं. एम–6, श्री कृष्णा पैराडाइज, ग्राम राऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश–452001,भारत.	रु. 7,50,000	रु. 75,000	10.07.2024	रु. 10000	27.06.2024 पूर्वा 12:00 बजे से अप. 04:00 बजे	11.07.2024 पूर्वा 01:30 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

'उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं है, सिवाय उनके जो कॉलम नंबर–के में वर्णित किए गए है। इसके अतिरिक्त ईन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कॉलम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सें) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से